सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-3802/MP/222/2026-RU-I

दिनांक: 27.04.2026

पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश शासन,
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
जहांगीराबाद, भोपाल – 462008, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dgpmp@mppolice.gov.in

पुलिस महानिदेशक,
केरल सरकार,
पुलिस मुख्यालय, वेल्लयाम्बलम,
तिरुवनंतपुरम, केरल - 695010
ई-मेल: dgp.pol@kerala.gov.in

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला - खरगोन,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय,
खरगोन, मध्य प्रदेश-451001
ई-मेल: dmkhargone@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला - खरगोन,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
खरगोन, मध्य प्रदेश 451001
ई-मेल: sp_khargone@mppolice.gov.in

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (प्रभारी),
जन्म एवं मृत्यु पंजीयक,
नगर परिषद महेश्वर,
जिला खरगोन, मध्य प्रदेश।
ई-मेल: cmomaheshwar@mpurban.gov.in

तहसीलदार (प्रभारी),
तहसील कार्यालय महेश्वर,
जिला खरगोन, मध्य प्रदेश,
ई-मेल: tehmahkhr@nic.in

विषय: **अनुसूचित जनजाति व्यक्ति निवासी: सेन्ट्रल जेल कॉलोनी, महेश्वर, तहसील- महेश्वर, जिला- खरगोन (मध्य प्रदेश) की नाबालिग कुंभ मेला वायरल लड़की को बहला-फुसलाकर, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के माध्यम से अंतर्धार्मिक विवाह के जाल में फंसाने एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में श्री प्रथम दुबे, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में दिनांक 22.04.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 22.04.2026** को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री प्रथम दुबे,
सामाजिक कार्यकर्ता, सेक्टर-126 रायपुर खादर,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201313,
मोबाइल नंबर:9309525434

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)
कार्यवृत्त (Minutes of Meeting)
पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3802/MP/222/2026-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति व्यक्ति निवासी: सेन्ट्रल जेल कॉलोनी, महेश्वर, तहसील- महेश्वर, जिला- खरगोन (मध्य प्रदेश) की नाबालिग कुंभ मेला वायरल लड़की को बहला-फुसलाकर, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के माध्यम से अंतर्धार्मिक विवाह के जाल में फंसाने एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में श्री प्रथम दुबे, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में दिनांक 22.04.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 22.04.2026
अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग के संज्ञान में यह प्रकरण आया, जिसमें पीड़िता कुंभ मेला वायरल लड़की के पिता श्री जयसिंह भोसले (निवासी मध्य प्रदेश) द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभ्यावेदन के अनुसार, आरोपी फरहान खान एवं उसके साथियों द्वारा पीड़िता को कथित रूप से अभिनय/नृत्य प्रशिक्षण का प्रलोभन देकर संपर्क स्थापित किया गया तथा बाद में उसे तिरुवनंतपुरम (केरल) ले जाया गया। वहाँ कथित रूप से पीड़िता को पिता से अलग कर बंधक जैसी स्थिति में रखा गया। आरोप है कि भाषा संबंधी बाधा एवं स्थानीय पुलिस के कथित असहयोग का लाभ उठाकर पिता को पुत्री से अलग कर दिया गया तथा बाद में पीड़िता का विवाह आरोपी के साथ करा दिया गया। प्रकरण में यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त विवाह संदिग्ध परिस्थितियों में संपन्न हुआ तथा इसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति से सुनियोजित षड्यंत्र की आशंका व्यक्त की गई है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

NCST अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं जांच के आधार पर यह पाया गया कि पीड़िता कुंभ मेला वायरल लड़की की जन्मतिथि 30.12.2009 है, जिसके अनुसार विवाह की तिथि (11.03.2026) पर उसकी आयु 16 वर्ष 2 माह 12 दिन थी, अर्थात वह विधि अनुसार नाबालिग थी।

प्रथमदृष्टया यह भी स्थापित हुआ कि नाबालिग बालिका का अपहरण कर अवैध रूप से विवाह कराया गया है। साथ ही, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं को 'पारधी' (अनुसूचित जनजाति) समुदाय से संबंधित बताया गया है, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान लागू होने की संभावना पाई गई है।
जांच के दौरान निम्न सिफारिशें भी की गईं—

- कार्यपालिक दंडाधिकारी, महेश्वर द्वारा जन्मतिथि के अनुसार आदेश में संशोधन किया जाए।
- जन्म एवं मृत्यु पंजीयक द्वारा डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र में संशोधन किया जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

- दर्ज एफआईआर में BNS, POCSO Act, SC/ST Act, Prohibition of Child Marriage Act, 2006 एवं Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 की धाराएं जोड़ी जाएं।
- पीड़िता को तत्काल अभिभावकों को सुपुर्द किया जाए।
- समस्त आरोपियों के विरुद्ध कठोर जांच कर आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण में पूर्व में कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

6. दिनांक 22.04.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.04.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर से प्रतिनिधि अधिकारी के रूप में श्री अनुराग, पुलिस महानिरीक्षक (IG), पुलिस महानिदेशक, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम की ओर से श्री जे. हिमेन्द्रनाथ, उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG), पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन की ओर से श्री रवीन्द्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक (SP) तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीयन विभाग, जिला खरगोन की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी (प्रभारी) श्री पुयंक पंड्या उपस्थित रहे। तहसील कार्यालय महेश्वर, जिला खरगोन की ओर से तहसीलदार (प्रभारी) श्री कैलाश सस्त्या व श्री प्रथम दुबे याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित हुए। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में उपस्थित प्राधिकारी तथा याचिकाकर्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 11.03.2026 को प्रस्तुत आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर पुलिस द्वारा उसे बालिग (18 वर्ष से अधिक) माना गया। केरल पुलिस द्वारा दर्ज बयान में मोनालिसा ने स्वयं अपनी इच्छा से संबंध एवं विवाह की बात कही।

तत्पश्चात, संबंधित पक्षों द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों एवं न्यायालयों में याचिकाएं दायर की गईं, जिनके क्रम में माननीय केरल उच्च न्यायालय से अंतरिम संरक्षण आदेश भी प्राप्त हुआ। जांच रिपोर्ट के अनुसार केरल पुलिस द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही की गई तथा पिता को मिलने से रोकने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए हैं। साथ ही, केरल पुलिस ने आयोग के निर्देशों के पालन की भी पुष्टि की है।

इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों द्वारा अब तक 'कुंभ मेला वायरल लड़की' के संशोधित जन्म प्रमाणपत्र की प्रति माननीय केरल उच्च न्यायालय को प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि पीड़िता की तलाश में केरल राज्य के कोच्चि जिले का दौरा किया गया, किंतु दोनों का पता नहीं चल सका तथा इस प्रक्रिया में केरल पुलिस द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। वहीं, केरल पुलिस का कहना है कि वे माननीय केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से कोई औपचारिक/आधिकारिक संप्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है।

7. दिनांक 22.04.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश 24 घंटे के भीतर केरल उच्च न्यायालय के बीए क्रमांक 1644/2026 के संबंध में मय जवाब एवं आवश्यक दस्तावेज के उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं की गई कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराए।
2. पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश थाना महेश्वर में दर्ज अपराध क्रमांक 0112/2026 की केस डायरी एवं थाना महेश्वर का रोजनामचा रजिस्टर जिसमें अपराध क्रमांक 0112/2026 से संबंधित सभी इंद्राज प्रविष्टियों को आयोग के समक्ष अविलंब प्रस्तुत करें।
3. पुलिस महानिदेशक केरल पुलिस थाना- थम्पानूर के दिनांक 11.03.2026 के समस्त सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग एवं थाने का रोजनामचा (डेली डायरी) 03 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष

जS

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रस्तुत करें।

4. मामले के संबंध में आयोग द्वारा की गई अनुसंशा पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई हेतु एक पत्र मुख्य सचिव, एवं गृह सचिव, मध्य प्रदेश सरकार एवं केरल सरकार को आयोग के सचिव के द्वारा प्रेषित किया जाए।
5. पुलिस महानिदेशक केरल एवं मध्य प्रदेश मामले की वस्तुस्थिति से प्रति सप्ताह आयोग को निरंतर अवगत करावें।
6. पुलिस अधीक्षक खरगोन के माध्यम से सूचना कर श्री महेन्द्र सिंह लोधी, जिसका स्थायी पता 21-न्यू इंदिरा नगर नालगिरी उज्जैन , मो. नं. 6268695398 है को दिनांक 29.04.2026 को जांचदल के समक्ष कथन हेतु आयोग के दिल्ली मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-।
****

F. No. NCST/ATY-3802/MP/222/2026-RU-I

Dated: 22.04.2026

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री जयसिंह भोसले (पिता), निवासी: सेन्ट्रल जेल कॉलोनी, महेश्वर, तहसील- महेश्वर, जिला-खरगोन (मध्य प्रदेश) की नाबालिग पुत्री 'मोनालिसा जयसिंह भोसले ' को बहला-फुसलाकर, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के माध्यम से अंतर्धार्मिक विवाह के जाल में फंसाने एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में श्री प्रथम दुबे, अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का अभ्यावेदन दिनांक निरंक के संदर्भ में।

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.	Shri Antar Singh Arya	Hon'ble Chairperson	In Chair	
2.	Shri Purnendu Kant	Director		
3.	Shri R.K. Dubey	Deputy Director		
4 .	Shri Shiv Prakash	Senior Investigator		
5.	Shri Vivekanand Shukla	Investigator		

पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश शासन, जहांगीराबाद, भोपाल मध्य प्रदेश

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.	ANURAG	IG, Indore (R)	9425916800	[signature]
2.				

पुलिस महानिदेशक, केरल सरकार, पुलिस मुख्यालय, वेल्लयाम्बलम, तिरुवनंतपुरम, केरल

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.	Dr. J. Himendranath	DIG, Trivandrum Range Tvm,	9497998993	[signature]
2.	ANURAG			

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला - खरगोन, म.प्र.

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.				
2.				

पुलिस अधीक्षक, जिला - खरगोन,, मध्य प्रदेश

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.	Ravindra Verma	SP	9555683215	[signature]
2.				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (प्रभारी), जन्म एवं मृत्यु पंजीयक, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.	Priyank Pandya	C.M.O	9827789610	[signature]
2.				

तहसीलदार (प्रभारी), तहसील कार्यालय महेश्वर, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.	Kailash Sastya	Tehsildar	9993935844	[signature]
2.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

S. No.	Name	Designation	Mob. No.	Signature
1.	Pratham Dubey	Advocate	9309525434	[signature]
2.				